संख्या एक/41वी वाहिनी/भा.ति.सी.पु./स्था-2/न्यायिक जाँच/2024-5497
कार्यालय सेनानी, 41वी वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, जिला- खुर्दा (ओड़िसा), पिन-752057
ई मेल-itcell41stbn@itbp.gov.in.

दिनांकः 10.08.2024

## नोटिस

दल संख्या-140340149 कॉ(जीडी) सुभाष चन्द्र माझी, 'ब' समवाय, 41वीं वाहिनी भा.ति.सी.पु. बल सुपुत्र श्री बिलास माझी, गांव-दन्दरा, डाकघर- बंगोमुंड़ा, तहसील-मुरीबहाल, थाना-कंटाबान्जी, जिला बलांगीर, राज्य-ओडिशा, पिन-767040 को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपको दिनांक 06.05.2024 से 01.06.2024 (दिनांक 05.05.2024 का Prefix एवं दिनांक 02.06.2024 का Suffix देय) तक 27 दिन अर्जित अवकाश सामरिक मुख्यालय कोण्डागॉव (41वीं वाहिनी) से स्वीकृत किया गया था परन्तु आप बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के दिनांक 02.06.2024 (पूर्वा.) (दिनांक 02.06.24 का स्वीकृत Suffix को रद्द करते हुए) से अवकाश से अनुपस्थित चल रहे है। इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन सं0- 4391-93 दिनांक- 04.06.2024, ज्ञापन संख्या 759 दिनांक 12.06.2024 एवं ज्ञापन सं0- 777-80 दिनांक- 19.06.2024 के तहत आपको 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल मुख्यालय, विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, खुर्दा (ओडिशा) में उपस्थित होने के लिए बार-बार निर्देश दिये गए हैं, परंतु आप वाहिनी मुख्यालय, 41वीं वाहिनी में आमद नहीं हुए। इसके अलावा भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 72 एवं 73 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप में 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस बल के पत्रांक संख्या- 4776-87 दिनांक 02.07.2024 के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला- बलांगीर (ओड़िशा ) को आपको गिरफ्तार कर 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस को सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया, परंतु पुलिस विभाग द्वारा अभी तक आपको इस वाहिनी के सुपुर्द नहीं किया गया है।

2. आपके दिनांक 02.06.2024 (पूर्वा0) से लगातार अनुपस्थित रहने पर भा.ति.सी. पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (1) में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत इस वाहिनी के कार्यालय आदेश संख्या 4877 दिनांक 06.07.2024 के अनुसार एक न्यायिक जाँच समिति का गठन किया गया था। न्यायिक जाँच समिति की राय एवं संस्तुति के आधार पर आपको भा.ति.सी.पुलिस बल अधिनियम-1992 की धारा 74 (2) में दिये गए प्रावधानों के अनुसार 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस के आदेश संख्या 5011-32 दिनांक 18.07.2024 के अनुसार अनुपस्थित होने की तिथि 02.06.2024 (पूर्वा0) से बल से ''भगौड़ा'' घोषित कर दिया गया है, जिसकी प्रति आपके स्थाई पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 5463 दिनांक 08.08.2024 के तहत आपको कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) भी जारी किया गया है।

3. दल संख्या-140340149 कॉ(जीडी) सुभाष चन्द्र माझी, 'ब' समवाय, 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी. पुलिस पुत्र श्री बिलास माझी को पुनः सूचित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस के समाचार पत्र में प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर ड्यूटी हेतु अपनी आमद 41वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पुलिस बल, विक्रम नगर कैम्प, तर्तुआ, जिला-खुर्दा, ओड़िशा में दें अथवा अपने बचाव पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदनुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेगें।

10/08/24

एडजुटेंट
41वीं, वाहिनी, भा0ति0सी0पुलिस

CBC 19112/11/0113/2425